# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल धार, (म.प्र.)

पता – माण्डव रोड, धार, जिला धार (म. प्र.) पिन : 454001
E-Mail : dfotdhar@mp.gov.in

क्र0/स्टोर/ 7121 धार,दिनांक 26/ 08/2025

प्रति,

उप संचालक {विज्ञापन},
जनसंपर्क संचालनालय,
जनसंपर्क परिसर,
बाणगंगा, भोपाल {म0प्र0} ।

विषय :– विज्ञप्ति का प्रकाशन ।

– 0 –

वनमण्डल धार के अंतर्गत परिक्षेत्रों में वृक्षारोपण क्षेत्र तैयारी हेतु फेंसिंग सामग्री क्रय किये जाने की ई–निविदा आमंत्रित की गई है। कृपया पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एंव दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक **30/08/2025** के पूर्व कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(विजयनंथम टी.आर.)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल धार

By Email
Date 28/08/25 Time 11:55

**कार्यालय वनमण्डलाधिकारी,वनमण्डल धार**

पृ0क्र0/स्टोर/25/7121/A धार दि0 26-8-25

प्रतिलिपि :- ① वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

② उप वन मण्डल अधिकारी धार/सरदारपुर।

③ वन परिक्षेत्र अधिकारी समस्त। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
धार वन मण्डल, धार

# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल धार

**माण्डव रोड,धार (म0प्र0)** –454001

Email – dfotdhar@mp.gov.in

## विज्ञप्ति

वन मण्डल धार के अंतर्गत वृक्षारोपण क्षैत्रो हेतु फेंसिग सामग्री का क्रय किया जाना है। सामग्री बाबद् सम्पूर्ण विवरण शर्ते एंव आवश्यक विस्तृत जानकारी म.प्र. शासन की वेबसाईट **https:// mptenders.gov.in** एवं **www.mpforest.gov.in** पर देखी जा सकती है। सूचना प्रकाशन दिनांक से **15.09.2025** तक इच्छुक निविदाकार ई-टेंडर के माध्यम से आनलाईन ई-निविदा प्रेषित कर सकेंगे |

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल धार

# TENDER DOCUMENT
# निविदा दस्तावेज

**** Providing Fencing Material for Plantation Areas ****
वृक्षारोपण क्षेत्रों हेतु फेसिंग सामग्री का प्रदाय

## कार्यालय,

वनमंडलाधिकारी,

वनमंडल धार (म.प्र.)

E-Mail : dfotdhar@mp.gov.in

निविदा आमंत्रण

DATE 30/08/2025

# निविदा की शर्ते हेतु मार्गदर्शित प्रारूप (Draft)

## विषय – सूची


| खंड-सं. | विवरण | पेज |
|---|---|---|
| खंड-I | ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) | 2-3 |
| खंड-II | निविदा दाता को निर्देश (आईटीबी) | 4-14 |
| | ए. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी | 4-5 |
| | बी. निविदा दस्तावेज | 6-9 |
| | सी. निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन | 10 |
| | डी. अनुबंध प्रदान करना | 11-12 |
| | ई. अन्य नियम और शर्ते | 13-14 |
| | अनुलग्नक 1 से 4 | 15-18 |

# खंड –I

## ई–निविदा आमंत्रण सूचना

## मध्यप्रदेश शासन

### कार्यालय –वनमंडल धार मध्य प्रदेश

ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 7116 / ई–टेंडरिंग / 2025–26 दिनांक 26.08.2025

1. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल धार द्वारा म0प्र0 भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित–2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है ।

| क्र. | सामग्री का विवरण | स्पेसिफिकेशन | मात्रा | सत्यांकार निधि | निविदा दस्तावेजो का मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBED WIRE | **Line Wire** - Galvanized steel wire of 2.5 mm diameter.<br>**Point wire** - Galvanized steel wire of 2.5 mm diameter.<br>**Barbs** - Distance between two boards 75mm, the barbs shall have four points and shall be formed by twisting two point wires each two turns. tightly around both the line wires making altogether four complete turns.<br>**Standard**- Conforming to IS-278-2009 | 58000 Kg. | 1,91,400/- | 1000/- |
| 2 | RCC Fencing Poles Height 2.0 m | **RCC Fencing Poles 2.00 M.**<br>Type- Straight. Lenght-2.00 **m.**<br>**Dimensions**- Bottom 10x10 cm. spuare, Top 8x8 cm spuare<br>**Cement Concerete Mix**- Cement, Sand and metal ratio 1:2:4 with 12.5 nominal size coarese aggregate. Sand used should be free frtioncby and salt concrete mix shell be conforming to grude m-15 of IS-456-2000<br>**Reinforeement** - 4 round verticul bars of 6 mm diametar 11 on of stirrups of 6mm Diametar round ms bars 20 cm centre to Centre<br>**Hooks** - 5 no.bottom hook should be provided 60 cm above the bottom of the pole second at 82.5 cm third hook at 112.5 cm fourth hook at1.150 cm top and fifth hook at 195 cm from bottom.<br>**Manufacturiong** - In order to ensure desired compressive Rcc fencing poles should be comacted with the help of plamorn vibiatiry Surfse should be uniform and free from voids the concrete owe the reinforcement should Not be less Then rain 1. 5 c m | 21620 Nos | 2,00,417/- | |
| | PRCC Fencing Poles Height 2.0 m | **PRE STRESSED RCC FENCING POLES**<br>**Type**- Straight **Length** - 2.00 m<br>**Dimensions** - Bottom 10x10 cm square,<br>**Cement Concrete Mix**- Concrete Mix Shall be conforming to grade M-15 of IS:456:2000<br>**Reinforcement** - There Shall be 4 Nos. of vertical reinforcement of high tesile steel wire of 4 mm dia. **Holes Hooks** - 6 nos, bottom hole should be provided 50 cm above the bottom of the poles, The central distance between the top and bottom holes shall be equally divided for remaining holes. **J Hook** shall be of 6mm dia MS Bar with proper threads at one end nut and washer for tightening purpose. **These J bolts** shall be pass through the holes of poles.<br>**Manufacturing**- In order to ensure desired compressive strength, RCC fencing poles should be compacted with the help of platform vibrators. Surface should be uniform and free from voids. The concrete cover over the reinforcement should not be | 21620 Nos | 2,00,417/- | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | less than 1.5 cm.<br>**Standard** - Conforming to IS 4996:1984 with up to date amendments. | | | |
| 3 | U Nails | MS- Corrosion Resistant U shape Stainless Steel | 3500 KG | 8925/- | |
| 4 | Galvanized steel Chain Link Fence | **Mesh Wire** - Galvanized steel wire of 3.15 mm diameter<br>**Fabric Size**- 75x75 mm<br>**Height**-150 cm<br>**Line Wire**-2 numbers of line wires of 4.00 mm diameter<br>**Standard**- Conforming to IS-2721-2003, with up to date - amendments. | 6300 square meters | 24,192/- | |
| | | **Mesh Wire** - Galvanized steel wire of 3.15 mm diameter<br>**Fabric Size**- 100x100 mm<br>**Height**-150 cm<br>**Line Wire**-2 numbers of line wires of 4.00 mm diameter<br>**Standard**- Conforming to IS-2721-2003, with up to date - amendments. | 6300 square meters | 24,192/- | |

1 निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते है।

2. ईच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का आनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक केवल आनलाईन खरीद सकते है।

3. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी।

4. निविदा पूर्व बैठक दिनांक 08-09-2025 समय दोप. 12:00 बजे को वनमंडल कार्यालय धार में आयोजित की जाएगी जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं वनमंडल कार्यालय में उपस्थित रहेए उसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होने ई–टेंडर फार्म खरीदे है।

5. ई–निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्टए यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगाए समाचार पत्रों में नही।

6. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल : **https://www.mptenders.gov.in/**

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धार वनमण्डल धार0, (म.प्र.)

## खंड –II

## निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

## मध्यप्रदेश शासन

## (अ) महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

| क्र. | जानकारी | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | संक्षिप्त विवरण | वन मण्डल धार अंतर्गत परिक्षेत्र धार, धामनोद, माण्डव, सरदारपुर, टाण्ड़ा,बाग एवं कुक्षी में किये जाने वाले वानिकी कार्यो के लिए फेसिंग सामग्री क्रय करने हेतु दरों की निविदा |
| 2 | ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या | ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या/7116/E-Tender/2025-26/ दिनांक 26.08.2025 |
| 3 | निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत | 1,000/– प्रोसेसिंग शुल्क<br>(पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित) |
| 4 | सत्यांकार निधि | 4,24,934/– (चार लाख चौबिस हजार नौ सौ चोतिस रूपये) |
| 5 | निविदा प्रस्ताव की वैद्यता | उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमंडलाधिकारी,वनमंडल धार द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है। |
| 6 | निष्पादन सुरक्षा | बारबेड वायर हेतु – 1,95,000/–<br>पी.आर.सी.सी. फेसिंग पोल हेतु – 2,10,000/–<br>यू–नेल्स हेतु – 9000/–<br>चैनलिंक हेतु – 30000/– |
| 7 | अनुमानित निविदा मूल्य | बारबेड वायर हेतु – 65,00,000/–<br>पी.आर.सी.सी./<br>आर.सी.सी फेसिंग पोल हेतु – 70,00,000/–<br>यू–नेल्स हेतु – 3,00,000/–<br>चैनलिंक हेतु – 10,00,000/– |
| 8 | निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय | 09.09.2025 दोप. 12:00 बजे |
| 9 | निविदा जमा करने की अंतिम तिथि | 15.09.2025 शाम 06:00 बजे |
| 10 | प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि | 16.09.2025 शाम 04:00 बजे |
| 11 | प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि | 17.09.2025 शाम 04:00 बजे |
| 12 | जमा करने का प्रकार | आनलाईन जमा https://www.mptenders.gov.in/ पर करें |

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमंडलाधिकारी वनमंडल धार के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।

2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमंडलाधिकारी वनमंडल धार के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।

3. वनमंडलाधिकारी वनमंडल धार (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है ।

4. **प्रति निविदाकार एक निविदा :–**

4.1 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग–अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएंगी।

5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चे वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।

6. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस–पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।

**वनमंडलाधिकारी**
**वनमंडल धार**

# (ब) निविदा दस्तावेज

## तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्त एवं अपलोड किये जाने वाले अभिलेख (दस्तावेज)

**7. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे :-**

i) जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate)

ii) पैन कार्ड (PAN Card)

iii) पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2021-22,2022-23, 2023-24) के आयकर रिटर्न (Income Tax Returns for last 3 financial years)

iv) 100 रूपये स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक -1 (Completed **ANNEXURE - 1** on Rs. 100 Stamp paper)

v) पूरा अनुलग्नक – 2 (Completed **ANNEXURE - 2)**

vi) पूरा अनुलग्नक –(3Completed **ANNEXURE - 3)**

vii) पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2021-22,2022-23, 2023-24) का सीए प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र (CA Certified Turnover Certificate)

viii) दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण (Shops and Establishment Registration)

ix) 'एमएसई प्रमाण पत्र'यदि ईएमडी छूट मांगी गई है ('MSE certificate' if EMD exemptions has been asked for)

x) 'स्टार्टअप इंडिया प्रमाण पत्र'यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/ और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलंग्नक 4 खंड (i) और (ii) ('STARTUP INDIA certificate' if exemption from Annual Average Turnover or/and previous Experience (**ANNEXURE 4** -Clause (i) & (ii)) is claimed)

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देश और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।

9. निविदा पूर्व बैठक (जहां लागू हो) **Pre-Bid Meeting (where applicable)**

**जहां भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है :**

9.1 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जाएगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा, और निविदाकारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।

9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसी बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाए जाने वाले किसी भी मामले पर सवालों के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

9.3 निविदा पूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमें उठाए गए प्रश्नों का सार और दिए गए उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किए गए किसी भी उत्तर को शामिल किया जाएगा, वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा।

9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधन करना आवश्यक समझता है, तो यह ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जाएगा।

**10. सत्यांकार निधि (ईएमडी) EARNEST MONEY DEPOSIT (EMD)**

10.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित - 2022) के नियम 14 के अनुसार की जानी है।

10.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

10.5 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:

10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

10.6 सत्यांकार निधि जब्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

11. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम व शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।

12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के दिशानिर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

13. पूर्व-योग्यता मापदंड **अनुलग्नक** 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल **संलग्न प्रारूप** में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।

15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।

16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (BoQ) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।

17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि वनमण्डल धार की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।

18. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वनमण्डल धार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (**अनुलग्नक** 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

19. स्थल सत्यापन रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित स्थलों मे से न्यूनतम 15 स्थलों के (कम से कम 4 परिक्षेत्रो से) फोटोग्राफ्स, जी.पी.एस. रीडिंग सहित अनुलग्नक-3 के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

20. निविदाकार द्वारा **अनुलग्नक**-1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा 'काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र' निविदा दस्तावेजों के साथ ₹100/-के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

| क्र. | परिक्षेत्र | वृक्षारोपण का प्रकार | कक्ष क्र. | रकबा हे.में. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कुक्षी | NPV | 596 | 30 |
| 2 | कुक्षी | NPV | 598 | 30 |
| 3 | कुक्षी | NPV | 616 | 50 |
| 4 | कुक्षी | NPV | 626 | 35 |
| 5 | कुक्षी | NPV | 607 | 40 |
| 6 | कुक्षी | NPV | 608 | 40 |
| 7 | कुक्षी | NPV | 597 | 30 |
| 8 | कुक्षी | NPV | 606 | 30 |
| 9 | कुक्षी | NPV | 622 | 30 |
| 10 | कुक्षी | NPV | 619 | 20 |
| 11 | कुक्षी | NPV | 592 | 30 |
| 12 | कुक्षी | NPV | 577 | 10 |
| 13 | कुक्षी | NPV | 625 | 5 |
| 14 | कुक्षी | NPV | 579 | 30 |
| 15 | बाग | कार्य आयोजना का क्रियानवयन | 53 | 50 |
| 16 | बाग | NPV/ RDF | 37 | 50 |
| 17 | बाग | NPV | 421 | 20 |
| 18 | टाण्ड़ा | NPV/ RDF | 466 | 30 |
| 19 | टाण्ड़ा | NPV/ RDF | 44 | 50 |
| 20 | टाण्ड़ा | NPV | 450 | 25 |
| 21 | धार | NPV/ RDF | 136 | 25 |
| 22 | धार | NPV/ RDF | 137 | 25 |
| 23 | धार | पर्यावरण वानिकी | Botnical | 10 |
| 24 | धामनोद | NPV/ RDF | 306 | 50 |
| 25 | सरदारपुर | NPV | 374 | 25 |
| 26 | सरदारपुर | CA | 857 | 30.18 |
| 27 | सरदारपुर | CA | 469 | 15 |
| 28 | सरदारपुर | NPV/ RDF | 361 | 30 |
| 29 | माण्डव | पर्यावरण वानिकी | Revenue Area | 10 |
| 30 | माण्डव | पर्यावरण वानिकी | Revenue Area | 10 |

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार

## (स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन :-

21. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

22. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भीअनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहींकरता है।
[गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूपण संबंधी मुद्दे।

23. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।

24. यदि कोई फर्म शून्य शुल्क/ प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/ वनमंडलाधिकारी की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उधृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।

25. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो स्वीकृत एल-1 फर्मो को कार्य आदेश समान मात्रा में किया जाएगा।

26. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

27. **अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा:** यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।

28. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

# (द) अनुबंध का पुरस्कार

29. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरें हैं।

30. नियोक्ता सफल निविदाकारों को '**स्वीकृति पत्र**' (LOA) (**अनुलग्नक** 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

31. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र(LOA) जारी किया गया है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग "महत्वपूर्ण तिथियाँ/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा बाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (FDR) या बैंक गारंटी के रूप में 'वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (FDR)या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से 3 माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा-2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाँकि, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा बैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है। निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालाँकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना सुध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित-2022) के अनुरूप की जाएगी।

32. स्वीकृत निविदाकार प्रदाय आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय स्थल पर प्रदाय करना सुनिश्चित करेंगे|

33. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि बह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:-

I. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो समिति/ वनमण्डलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

II. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।

LL. यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर-उत्तरदायी है।

IV. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

34. यदि सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो जमा की गई सत्यांकार राशि एवं निष्पादन सुरक्षा राशि जप्त करने के साथ 5 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

35. स्वीकृत निविदाकार द्वारा वर्क आर्डर आने के बाद 15 दिवस में सामग्री की आपूर्ति पूरी नही की जाती है, तो निविदाकर्ता को सूचनापत्र दिया जायेगा और 3 दिवस के अंदर आपूर्ति करना होगा । उसके बाद भी आपूर्ति नही की जाने पर दोबारा 3 दिवस का समय दिया जायेगा । इस अंतराल के उपरांत अन्य निविदाकारों से L-2, L-3 या बाजार से आदि के क्रम में L-1 रेट पर सहमति लेकर सामग्री का शेष भाग खरीदने की कार्यवाही की जायेगी ।

## 36. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

36.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप **अनुलग्नक** 7 में दिया गया है।

36.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

36.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (EMD) जब्त कर ली जाएगी।

37. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।

38. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसेवाणिज्यिक लेनदेनसमय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के -प्रसंस्करण के संबंध में समय/ भीतर। सभी कानूनीविवाद केवल मध्य प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

## ई . अन्य नियम और शर्ते

39. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत निविदा का विगत दो वित्तीय वर्षो का टर्नओवर सामग्रीवार अनुमानित मूल्य का 2 गुना राशि होना अनिवार्य है।

40. सामग्री का सम्पूर्ण प्रदाय वनमंडल कार्यालय द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

41. निविदा की गई मात्रा अनुमानित है जिसे निविदाकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार बिना किसी पूर्व सूचना के बढाया या घटाया जा सकेगा।

42. सभी निविदाकार तकनीकी निविदा खोलने की नियत तिथि से 48 घंटे पूर्व निविदा सामग्री का सेम्पल वनमंडल कार्यालय में जमा कर पावती लेना सुनिश्चित करेंगे । पावती निविदा के साथ अपलोड करे । नियत तिथि तक निविदा सामग्री सेम्पल जमा न होने की स्थिति में निविदा मान्य नही होगी ।

43. निविदा सामग्री सेम्पल का NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से सेम्पल परीक्षण प्रतिवेदन में निविदा ID के उल्लेख के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा ।

43.1 प्री-बीड मीटिंग के पश्चात् निविदाकार द्वारा प्रदाय किये गये सामग्री के सेम्पल का परीक्षण वनमंडल कार्यालय में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जावेगा । समिति द्वारा परीक्षण उपरांत सामग्री का सेम्पल उपर्युक्त पाये जाने के पश्चात् आवश्यतानुसार सेम्पल को NABL अधिकृत शासकीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है । परीक्षण का शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा । सामग्री का सेम्पल परीक्षण में उपयुक्त नहीं पाये जाने के फलस्वरूप निविदाकार को तकनीकी निविदा में असफल माना जावेगा ।

43.2 सामग्री स्वीकृत स्पेशिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करनी होगी । सत्यापन के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी । गुणवत्ता विहीन या स्पेशिफिकेशन अनुसार नहीं पाये जाने पर सामग्री का भुगतान नहीं किया जावेगा ऐसी स्थिति में सामग्री को कार्यस्थल से निविदाकार को स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा । साथ ही इसके बदले में स्वयं के व्यय पर आदेशित मात्रा में निर्धारित स्पेशिफिकेशन की सामग्री प्रदाय करना होगा

44. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

45. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र ( यदि कोईहो )में मागें गए किसी भी प्रमाण-पत्र / दस्तावेज को अपलोड नहीं करते है।

45.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है।

ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

45.2 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है, तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।

45.3 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

46. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

वन मण्डलाधिकारी
धार वन मण्डल, धार

अनुलग्नक 1-

## – स्वघोषणा :प्रारूप काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र

₹100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक//:

सेवा में,

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल धार
जिला-धार (म०प्र०)/

महोदय,

दिनांक .............................. के निविदा संदर्भ संख्या ................................ के प्रत्युत्तर में, ................................................................................के स्वामीनिदेशक के रूप में/भागीदार/, मैंहमघोषणा करते हैं कि / .................................................. फर्म/वर्तमान में हमारी कंपनी का रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्यकेंद्र / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और /सरकार धोखाधडीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गयाहै।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी..............................................फर्म/ निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्यसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और /केन्द्र सरकार/ धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणोंसे काली सूची में नहीं डाली गई है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरीहमारी प्रतिभूति / पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,
निविदाकार का नामः
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताः -
संगठन की मुहरः -

दिनांकः
स्थानः

अनुलग्नक 2-

## प्रारूपः निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति / फर्म का विवरण स्वघोषणा

1- निविदाकाः फर्म का नाम/ ..............................................................................

2- पिता का नाम ..............................................................................

3- स्थायी पता मकान क्रमांक ..............................................................................

गली क्रमांक ..............................................................................

स्थान ..............................................................................

जिला ....................................................... पिन कोड ..............................................

4- कार्यालय का पता ..............................................................................

गली क्रमांक ..............................................................................

स्थान ..............................................................................

जिला ....................................................... पिन कोड ..............................................

5- सत्यांकार राशि ............................ बैंक गारंटी/एफडीआर -: का विवरण प्रकार (.डी.एम.ई)

संख्या दिनांक ..............................................................................

राशि ..............................................................................

बैंक का नाम ..............................................................................

..............................................................................

6- जीएसटी नंबर ..............................................................................

निविदाकार के हस्ताक्षर

**घोषणा**

मैं, ..............................................................................

पितापति/

..............................................................................घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज़ की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

**अनुलग्नक 3-**

## प्रारूप : सामग्री प्रदाय हेतु क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम ............................................................................ जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा वनमण्डल धार का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा । मैं/हम .................................................. वनमण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर निविदा में प्रस्तावित सामग्री ........................................प्रदाय करने के लिये सहमत है ।

मैं/मेरे प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित 10 वृक्षारोपण स्थलों पर भ्रमण किया गया एवं वृक्षारोपण स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग सहित फोटोग्राफ्स निविदा में अटैच की गई है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं मुद्रा

वृक्षारोपण स्थल का विवरण :–

| क्र. | भ्रमण किये गये स्थल का विवरण | | | | प.अ./कर्म. का नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिक्षेत्र | वृक्षारोपण का | कक्ष क्र. | रकबा हे.मे. | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

टीप :-

1. वृक्षारोपण क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है ।
2. क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के उपलब्ध न होने अथवा उनके हस्ताक्षर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में स्थल भ्रमण का जियोटेग्ड सेल्फी फोटोग्राफ (निविदाकार/निविदाकार के प्रतिनिधि के नाम सहित) अपलोड करने पर निविदा में मान्य किये जावेंगे ।

अनुलग्नक 4-

## पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

i. (किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभवः

क) तीन समान कार्य जिसके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ख) दो समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है;

या

ग) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदा दी गई है; अथवा

घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, म.प्र. में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

ii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को उपर्युक्त खंड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।